Regd.

छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 5588/ परि0वि0 / 2016 नया रायपुर, दिनांक 21/12/2016

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नागरिक आपूर्ति विभाग।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संसाधन विभाग।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग।
5. मैनेजिंग डायरेक्टर एसईसीएल बिलासपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, दुर्ग
7. मैनेजिंग डायरेक्टर, एनटीपीसी कोरबा,
8. मैनेजिंग डायरेक्टर, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर
9. एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर, एनएमडीसी, बचेली जिला दंतेवाड़ा
10. एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर, एनएमडीसी, किरंदुल जिला दंतेवाड़ा

विषय :- **व्यवसायिक वाहनों के टैक्स भुगतान अथवा वैध फिटनेस के बिना संचालन के संबंध में।**

---00---

उपरोक्त विषय में कृपया लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे व्यावसायिक वाहनों का संचालन हो रहा है जिनके द्वारा शासन को नियमित रूप से टैक्स नहीं दिया जा रहा है अथवा वाहनों के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार ट्रकों द्वारा सकल भार क्षमता के आधार पर प्रति तिमाही तथा बसों द्वारा बैठक क्षमता के आधार पर प्रति माह टैक्स दिया जाना चाहिए। जे.सी.बी./क्रेन आदि के लिए वर्ष 2015 से वाहन के वास्तविक मूल्य का 7 प्रतिशत जीवनकाल कर के रूप में देय है तथा वर्ष 2015 से पूर्व खरीदी गई जे.सी.बी/ क्रेन द्वारा भी इस कर की राशि शासन को देय है। व्यावसायिक वाहनों द्वारा प्रतिवर्ष फिटनेस निरीक्षण करवा कर फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

ऐसी संभावना है कि बड़े औद्योगिक एवं खनिज प्रतिष्ठानों तथा आपके विभाग से संबंधित कार्यों हेतु संचालित वाहनों, जे.सी.बी., क्रेन आदि द्वारा शासन को देय टैक्स की राशि लंबित हो अथवा वाहन बिना फिटनेस के संचालित हो रहे हों। अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग/संस्था में संचालित वाहनों के संबंध में यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि सभी वाहनों द्वारा देय कर का भुगतान कर दिया गया है तथा वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं तथा जे.सी.बी./क्रेन आदि के द्वारा जीवनकाल कर का भुगतान शासन को कर दिया गया है।

कृपया इस संबंध में आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले निजी संस्थानों को भी आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें। वाहनों के टैक्स आदि के संबंध में जानकारी छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाइट **www.cgtransport.org** तथा **53030** पर एसएमएस **TD CDU<REGISTRATION NUMBER>** भेजकर प्राप्त की जा सकती है। यदि आपके पास बिना टैक्स/फिटनेस कराये वाहन की जानकारी हो तो उसे परिवहन विभाग की ई-मेल atc.cg@nic.in अथवा पत्र द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचित करने का कष्ट करें।

19.12

(अरूण देव गौतम)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग

CEO's Office, BSP
No. 41533
Date 28/12/16